राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

~~वीरेन्द्र कुमार बनाम रामप्रकाश सिंघल~~

653/2024, 719/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/12/2024	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस अन्तिम हेतु दिनांक 15/12/2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
15/12/2024	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर पूर्व में सुनी जा चुकी है। अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 18/12/2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
18/12/2024	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि वादी/अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 13/02/2024 पारित करते हुए तहसीलदार बस्सी को वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 103 रकबा 0.4300 ग्राम कुथाडाकलां, पटवार हल्का कुथाडाखुर्द, भू.अ.भि.नि. कानोता, तहसील बस्सी, जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त आराजी का मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना के अनुसार उभयपक्षों की उपस्थिति में कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये, जिसकी पालना में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 01/07/2024 पारित कर की गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष पृथक-पृथक दो अपीले क्रमश: प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरुद्ध अपील संख्या 719/2024 उनवानी वीरेन्द्र कुमार बनाम रामप्रकाश एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री के विरुद्ध अपील संख्या 653/2024 उनवानी वीरेन्द्र कुमार बनाम रामप्रकाश प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की दोनों अपीलों पर इकजाई मौखिक बहस सुनी गयी। चूँकि दोनों अपीले एक ही वाद में पारित प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमे विवादित भूमि एवं पक्षकार भी समान है, ऐसेमें इस एक ही निर्णय के माध्यम से दोनों अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति दोनों अपील पत्रावलीयो पर सलग्न की जावे। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

वीरेन्द्र कुमार बनाम रामप्रकाश सिंघल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावलीयो का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा विभाजन का वाद पेश किया गया है, जिसमे सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री के माध्यम से विवादग्रस्त भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना के अनुसार उभयपक्षों की उपस्थिति में कुर्रेजात तैयार करने के आदेश पारित किये गये है, जिसमे कोई त्रुटी जाहिर नही होती है | इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 13/02/2024 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 26/07/2024 को करीबन 5 माह में विलम्ब से यह अपील प्रस्तुत की गयी है एवं 5 माह से अधिक के विलम्ब को कन्डोन करवाने हेतु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्य स्वीकार योग्य ही जाहिर नही होते है | अत: प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 13/02/2024 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 719/2024 उनवानी वीरेन्द्र कुमार बनाम रामप्रकाश गुणावगुण पर बलहीन होने एवं मियाद बाहर प्रस्तुत होना धारित कर ख़ारिज की जाती है | इसके अतिरिक्त अन्तिम निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 653/2024 उनवानी वीरेन्द्र कुमार बनाम रामप्रकाश का प्रश्न है तो इस सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री एवं कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री के माध्यम से किया गया विभाजन उचित प्रतीत होता है, ऐसेमें तकनीकी बिन्दुओ के आधार पर सहखातेदारान के मध्य हुये विभाजन को अपास्त किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है | अत: अधीनस्श न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 01/07/2024 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने से उन्हें यथावत रखा जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 653/2024 उनवानी वीरेन्द्र कुमार बनाम रामप्रकाश अस्वीकार कर ख़ारिज की जाती है |

पत्रावलीयां फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 18/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर